7/10/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली दि० 6.11.19 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि जारी रहे।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 6-11-19
आज पत्रावली पेश हुई है। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थिति। पी.ओ. साहब निर्वाचन
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 13-12-19 को पेश हो।

दिनांक 13–12–2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17–06–2016 को प्रस्तुत किया गया किन्तु अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17–06–2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)